



अभिलेख उपस्थापित।

चन्द्रिका रविदास पिता स्व० सौखी रविदास, निवास स्थान ग्राम-बलियन्द, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम ग्राम-थरखरी, बिगहा, थाना-चंडी, जिला-नालन्दा (बिहार) द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना नं०-81, खाता संख्या-42, प्लॉट संख्या-1337, रकवा-0.11 एकड़ (11 डिसिमिल) (एयारह डिसिमिल) भूमि सोहा देवी पति महाबीर राम, निवास स्थान ग्राम वो पोस्ट-सुलताना, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-846/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 6473/रा० दिनांक 22.12.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 222 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला संख्या-7671 दिनांक 12.07.2011 के द्वारा खरीदगी प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत नथु खाँ हैं। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धरित कुल रकवा 15.00डी० भूमि है। मौजा-गदोखर के खाता संख्या-42 प्लॉट संख्या-1337 रकवा-15.00डी० भूमि की जमाबंदी पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-83/7 में विक्रेता चन्द्रिका रविदास के नाम से कायम है। रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। विक्रेता के पास बिक्री भूमि के अतिरिक्त मौजा-बलियन्द का खाता संख्या-19 में लगभग 65.00डी० भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 69.00डी० भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में चन्द्रिका रविदास पिता स्व० सौखी रविदास, निवास स्थान ग्राम-बलियन्द, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम ग्राम-थरथरी, बिगहा, थाना-चंडी, जिला-नालन्दा (बिहार) को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना नं०-81, खता संख्या-42, प्लॉट संख्या-1337, रकबा-0.11 एकड़ (11 डिसमिल) (ग्यारह डिसमिल) भूमि सोहा देवी पति महावीर राम, निवास स्थान ग्राम चौ पोस्ट-सुलताना, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	<p style="text-align: right;">प्रेषक.</p>